तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता मृतक प्रत्यर्थी संख्या–1 के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 6–2–2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, टिब्बी ने दिनांक 24–04–1985 को एक रिपोर्ट अपर कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी चक 2 आरडब्ल्यूडी में 34.12बीघा भूमि गैर दाखिलकारी की है, जिसका नियमानुसार आवंटन नहीं कराया गया और सीधे ही भू–प्रबन्ध अधिकारियों से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। अतः विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम किया जावे। तत्पश्चात् प्रकरण में बाद जांच अतिरिक्त कलक्टर, हनुमानगढ ने प्रत्यर्थी के धारण की भूमि चक–4 आर.डब्ल्यू.डी. रकबा 43.12बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन न करवाने एवं भू–प्रबन्ध विभाग से गलत रूप से खातेदारी दर्ज करवानी मानकर विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश दिनांक 29–03–2003 को पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–08–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2003 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त करते हुए विवादित आराजी लाधूराम को राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकारी अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन नियम) 1970 की शर्त संख्या–9–ग के तहत दोनों चकों की कुल 34.16बीघा भूमि कीमतन आवंटन किये जाने का आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय को पारित निर्णय की पालना में किश्त राशि निर्धारित करके आवंटन आदेश जारी करने के आदेश प्रदान किये। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि राजस्थान गैर दाखिलकारी पैतालिसा क्षेत्र में स्थित है, इस कारण आवंटन गैर दाखिलकारी आवंटन शर्त 1970 के तहत कराया जाना आवश्यक था किन्तु प्रत्यर्थी ने उक्त नियमों के तहत आवंटन नहीं कराया था बल्कि बन्दोबस्त विभाग से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे। इस कारण विधिवत् आवटन नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का विधिसम्मत् आदेश पारित किया। उनका कथन है कि बन्दोबस्त विभाग को कानूनन खातदेारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उन्हें अपील में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29–3–2003 की वैधानिकता की जांच करनी थी कि आया आदेश नियमानुसार है या नहीं? अपीलीय न्यायालय ने अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्षेत्राधिकार से परे जाकर बिना किसी आवेदन के ही आराजी को गैर दाखिलकारी आवंटन शर्त, 1970 के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी को आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत् आदेश से विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित किया। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा अपर जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के धारण में चक–2 आरडब्ल्यूडी व चक–4 आरडब्ल्यूडी की 18.07बीघा व चक 4 आरडब्ल्यूडी की 16.5 बीघा कुल 34.12बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन न करवानी तथा भू–प्रबन्ध विभाग से खातेदारी प्राप्त करने के आधार पर विचारण न्यायालय ने बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। क्योंकि विवादित आराजी प्रत्यर्थी के नाम से बतौर गैर दाखिलकार दर्ज है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् राजस्थान उपनिवेशन गैर दाखिलकारी पैतालिसा आवंटन शर्तो के तहत दिनांक 27–4–1984 को प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी ने दिनांक 10–06–1985 को भूमि आवंटन करवाने हेतु आवेदन पेश किया तथा शपथपत्र भी शर्तो के अनुसार प्रस्तुत किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया था। उनका कथन है कि तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट क्रमांक 1489 दिनांक 23–07–2002 के अनुसार भूमि सम्वत् 2011 से लगातार प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त में है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2015, गिरवावरी सम्वत् 2015 से 2017 एवं प्रश्नोत्तरी सम्वत् 2012 से 2052 व पर्चा खतौनी इत्यादि से यह प्रमाणित है कि उक्त विवादित आराजी प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त में बतौर गैर दाखिलकार चली आ रही है तथा प्रत्यर्थी के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विवादित आराजी के आवंटन का पात्र है तथा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आवेदनपत्र पर जांच किये बिना गलत रूप से भूमि भू–प्रबन्ध विभाग से खातेदारी दर्ज करवाने के आधार पर भूमि बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित कर दिया। उनका कथन है कि अपर जिला कलक्टर द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित किया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10–ए एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 18–12–2019 का निर्णीत करना उचित समझते है। अधिववक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित किया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रत्यर्थी लाधूराम का देहान्त हो गया है, जिनके वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार है, जिसकी ओर से वकालतनामा संलग्न है, जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार मृतक प्रत्यर्थी लाधूराम के प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। संशेधित उनवान शीर्षक प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल किया जावे। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार, टिब्बी की रिपोर्ट क्रमांक 839 दिनांक 22-04-1985 के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर चक 4 व 2 आरडब्ल्यूडी की कुल 34.12बीघा भूमि गैर दाखिलकारी की कब्जा काश्त में होना मानकर शर्त संख्या-6(2) राजस्थान गैर दाखिलकारी पैतालीसा आवंटन शर्त, 1970 के तहत नोटिस भूमि आवंटन करवाने बाबत् जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस की तामील होने के पश्चात् दिनांक 10-06-1985 को शर्त संख्या-7 के तहत उक्त 34.12बीघा भूमि का आवंटन करवाने हेतु आवेदनपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। विचारण न्यायालय को शर्त संख्या-8 के अनुसार आवेदनपत्र पर जांच करके शर्त संख्या-9 के तहत प्रत्यर्थी भूमि आवंटन का पात्र है अथवा नहीं, यह निर्धारित करते हुए आदेश पारित करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी की ओर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत आवेदनपत्र पर कोई आदेश पारित किये बिना विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि प्रत्यर्थी की ओर से नोटिस तामील होने के पश्चात् अन्दर मियाद विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के आवंटन हेतु आवेदनपत्र पेश कर दिया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट क्रमांक 1489 दिनांक 23-07-2002 के अनुसार भूमि सम्वत् 2011 से लगातार प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त में है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2015, गिरवावरी सम्वत् 2015 से 2017 एवं प्रश्नोत्तरी सम्वत् 2012 से 2052 व पर्चा खतौनी इत्यादि से यह प्रमाणित है कि उक्त विवादित आराजी प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त में बतौर गैर दाखिलकार चली आ रही है तथा प्रत्यर्थी के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए विवादित आराजी को बहक सरकार अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4127/2004/हनुमानगढ सरकार बनाम लाधूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	